By :- Sunita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख प्रावधानों

Describe the main provisions of Directive Principles of State.

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को निम्न भागो मे बाँटा जा सकता है :→

छठी बात यह है कि नवयुवक और नवयुवतियों की अनैतिकता से रक्षा की उचित व्यवस्था हो।

सातवीं बात यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि सभी व्यक्ति योग्यतानुसार कार्य कर तथा शिक्षा प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, राज्य यह भी व्यवस्था करे कि सबको बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, और अंगहानि की दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध हो सके क्योंकि अन्य उन्नत देशों में भी ऐसी व्यवस्था की जाती है।

आठवीं बात यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि प्रसूति के समय जच्चा और बच्चा को कोई हानि न हो।

नवीं बात यह है कि राज्य को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में मजदूरों को कार्य और उचित मजदूरी मिले, उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो लोगों को प्रोत्साहन मिले जिससे गाँवों की दशा में सुधार हो।

दसवीं बात यह है कि राज्य दुधारु पशुओं की हत्या से रक्षा करे। पशुओं के नस्लों में सुधार लाये और कृषि तथा पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें। वास्तव में अब इन सभी बातों की शर्तें भारत में ही जाती है

सामाजिक समानता :- सामाजिक न्याय का आधार सामाजिक समानता है। सामाजिक जीवन विविधताओं से भरपूर है। जाति, मजहब, व्यवसाय आदि के चलते समाज में अनेक वर्ग पाए जाते हैं। इन वर्गों में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना भी सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है।

सामाजिक न्याय से शांति और व्यवस्था की स्थापना:- सामाजिक न्याय से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। सार्वजनिक स्थानों जैसे - भोजनालयों, शिक्षणालयों, तालाबों तथा कुँओं के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ धर्म, वंश, जाति, भाषा, या रंग के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के बाद हम निम्नलिखित बातें कह सकते हैं :→

1. सामाजिक न्याय की स्थापना से समाज का सर्वांगीण विकास होता है।
2. सामाजिक न्याय के चलते वैमनस्य और घृणा की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है।
3. सामाजिक न्याय की स्थापना से समाज में शांति बनी रहती है और तनाव कम हो जाते हैं।
4. सामाजिक न्याय देश में विघटनकारी प्रवृत्ति को रोककर राष्ट्रीयता के विकास में सहायता प्रदान करता है